स्वच्छता की
ज्योत जागी है !

4 जनवरी 2018 से राज्य एवं देश के सभी शहरों में स्वच्छता की सबसे बड़ी नगरीय स्वच्छता प्रतियोगिता–

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018

प्रारम्भ होने जा रही है।

इस सर्वेक्षण में अपने निकाय/शहर को ओ0डी0एफ0 यानि खुले में मुक्त करने पर हमें मिलेंगे 350 अंक

मैं अपने घर में शौचालय बनवाऊंगी !

मैं बनवाऊंगी
शहर को नंबर वन !

छोटे छोटे कदम...
लाएंगे एक बड़ा बदलाव!

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

उत्तराखण्ड शासन

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उत्तराखण्ड

31/62 Rajpur Road Dehradun, Email - directorudd@gmail.com, directorsudauk@gmail.com, sbmurbanuk@gmail.com
Facebook Page - (SBM-Urban,Uttarakhand), Twitter Account @U_sbm, Twitter Handle - #MyCleanIndia #MyCleanUttarakhand,
Phone - 0135-2749541, 2742885 and Fax- 0135-2749542, 2742885

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उत्तराखण्ड

आईये, अपने नगर को "खुले में शौच से मुक्त" (ओ.डी.एफ.) करें

मिशन की मुख्य विशेषतायें

खुले में शौच की प्रवृत्ति मानवीय मर्यादा तथा सम्मानजनक जीवन शैली के लिए भी एक धब्बा है। खुले में शौच कई बीमारियों की जड़ है।

मिशन कवरेज

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत शहरी विकास विभाग के तत्वाधान में राज्य के समस्त शहरी निकायों को "खुले में शौच से मुक्त" (Open Defecation Free) ओ.डी.एफ. करने का अभियान संचालित किया जा रहा है।

रणनीति

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के ओ0डी0एफ0 घोषित हो जाने के बाद राज्य के समस्त नगर निकायों को शीघ्र ही "खुले में शौच से मुक्त" यानि "ओ.डी.एफ." करने का लक्ष्य तय किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लाभार्थी और लाभ–

पात्रता– शहरी क्षेत्र में निवासरत कोई भी परिवार जिसके पास शौचालय न हो।

यक्तिगत घरेलू शौचालय

- अपने नगर निकाय के माध्यम से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यह आवेदन (**www.swachhbharaturban.gov.in**) आनलॉईन भी किए जा सकते हैं।
- घरेलू शौचालय निर्माण हेतु 12000/– रुपए प्रति इकाई प्रति परिवार की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

सामुदायिक शौचालय

- निकाय क्षेत्रों के ऐसे 6 से 20 परिवार जिनके पास शौचालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध न हो, को (4–5 परिवारों के लिए एक सीट के अनुपात से) निकायों के माध्यम से सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए 98,000/– रुपए प्रति सीट की दर से धनराशि का प्रावधान है।

सार्वजनिक शौचालय/ मूत्रालय

- हाट, बाजार, बस अड्डे, पर्यटक स्थलों, ऑफिस कॉम्प्लैक्स, तथा अन्य ऐसे स्थानों पर जहां बहुतायत में लोग आते हों, सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु भी 98,000/– रुपए प्रति सीट की दर से धनराशि प्रावधानित है। इस हेतु CSR मद को भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सार्वजनिक मूत्रालयों के निर्माण हेतु नगर निकायों को 32,000/–रुपए प्रति सीट की दर से धनराशि का प्रावधान है।

अपने निकाय को "ओ.डी.एफ." करने में आप ऐसे सहयोग कर सकते हैं–

- यदि आपके पास शौचालय नहीं है तो पालिका से सहयोग प्राप्त कर अपने घर पर शौचालय बनवाएं तथा उसका प्रयोग करें।
- यादि आपका शौचालय सेप्टिक टैंक, सीवर लाईन अथवा टू–पिट सिस्टम से संबद्ध नहीं है तो अपनी पालिका से सहयोग प्राप्त कर अपने शौचालय को सेप्टिक टैंक, सीवर लाईन अथवा टू–पिट सिस्टम से संबद्ध करवाएं।
- खुले में कूड़ा या गंदगी न फैलाएं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। ऐसा करना "**The Uttarakhand Anti Littering and Anti Spitting Act.-2016**" के तहत दण्डनीय अपराध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 500/– से 5000/–तक जुर्माना या छः माह के कारावास अथवा दोनों का प्रावाधान भी है।
- शासनादेश संख्या – 94, दिनांक– 13/01/16 तथा 2187, दिनांक 29/12/16 के अनुसार प्लास्टिक व थर्मोकॉल से बनी थैलियां, पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामाग्री का प्रयोग करना एवं कूड़ा/ सूखी पत्तियों को जलाना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर 5000/–रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
- खुले में शौच तथा मूत्र त्याग न करें। ऐसा करने पर स्वच्छ सर्वेक्षण में आपके शहर के अंक कम हो सकते हैं।
- आगामी 04 जनवरी से पूरे राज्य में प्रारम्भ होने जा रही नगरीय स्वच्छता प्रतियोगिता यानि "**स्वच्छ सर्वेक्षण – 2018**" के दौरान अपने शहर को **नम्बर 01** बनाने के लिए वोट करें।
- सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों को गंदा न करें। खुले में शौच के खिलाफ पालिका की मुहिम का हिस्सा बनें।

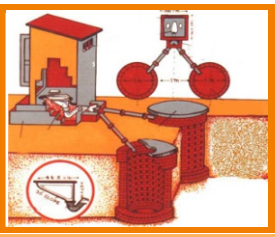

तो बताईए आपका शहर कब हो रहा है "ओ.डी.एफ"